

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 537 / 15

संस्थापन दिनांक:-03 / 09 / 15

फाईलिंग नं. 233504003132015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

शेख रसीद पिता शेख नूर
उम्र 35 वर्ष, निवासी इन्द्रा कॉलोनी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 16.03.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 20.08.2015 को 12:30 बजे या उसके लगभग इन्द्रा कॉलोनी रेल्वे पटरी के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का बका जिसकी लंबाई 1 फुट 6 इंच, चौड़ाई 3 इंच 10 सेमी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.08.2015 को प्रधान आरक्षक अनिल शर्मा को जरिए टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि शेख रसीद मोहल्ले में लोहे का बका लेकर घर वालों एवं मोहल्ले के लोगों को मारने पीटने एवं गाली गुप्तार कर रहा है। सूचना पर वह मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे का बका लेकर अपनी बहन फिरोजा अली एवं मोहल्ले वालों को गाली गुप्तार कर डरा धमका कर मारने पीटने को हो रहा था। जिसे हमराह स्टाफ की मदद से पकड़ा तथा अभियुक्त से लोहे का बका जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 447/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.08.2015 को 12:30 बजे या उसके लगभग इन्द्रा कॉलोनी रेल्वे पटरी के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का बका जिसकी लंबाई 1 फुट 6 इंच, चौड़ाई 3 इंच 10 सेमी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 अनिल शर्मा (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 20.08.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे फोन पर सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ इन्द्रा कॉलोनी पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे का धारदार बका लेकर अपनी बहन फिरोजा एवं मोहल्ले के लोगों को गाली गुप्तार कर डरा धमकाकर मारपीट करने को हो रहा था जिसे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे का धारदार छुरा जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 447/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी।

6 फिरोजा अली (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना इन्द्रा नगर रेल्वे पटरी के पास दोपहर 12 बजे की है। घटना के समय अभियुक्त हाथ में लोहे का धारदार बका लेकर उसके घर के सामने उसे गाली गलौच कर मारने के लिए दौड़ा था जिस पर उसने पुलिस को खबर की थी तथा पुलिस ने मौके पर आकर अभियुक्त के कब्जे से मौके पर एक लोहे का बका जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। अब्दुल रहमान (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना के समय उसे उसकी पत्नी ने फोन कर बुलाया था और बताया था कि अभियुक्त लोहे का बका लेकर डरा धमका रहा है जिसे पुलिस ने पकड़कर ले गयी थी। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

7 बेबीबाई (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में घटना के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उसके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

8 फिरोजा अली (अ.सा.-1), अब्दुल रहमान (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के हाथ में लोहे का बका होना एवं जप्ती तथा गिरफ्तारी पत्रक में अपने हस्ताक्षरों को होना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी फिरोजा अली (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि उसने पुलिस को केवल मारपीट के संबंध में सूचना दी थी। अभियुक्त के हाथ में उसने बका नहीं देखा था और न ही पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त से बका जप्त किया था। साथ ही यह भी बताया है कि जब उसके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लिये गये थे तब अभियुक्त उपस्थित नहीं था। अब्दुल रहमान (अ.सा.-2) ने भी प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था, पुलिस ने बाद में जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्र में हस्ताक्षर करवाये थे और जब उसके हस्ताक्षर लिये गये थे तब कागज कोरे थे।

9 बेबीबाई (अ.सा.-4) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी फिरोज अली (अ.सा.-1) एवं अब्दुल रहमान (अ.सा.-2) के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साथ ही दोनों साक्षी अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण पर विश्वास किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः अभियोजन को उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

10 अभिलेख पर मात्र अनिल शर्मा (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

11 अनिल शर्मा (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि टेलीफोन पर सूचना मिलने पर मौके पर हमराह स्टाफ के साथ जाना तथा अभियुक्त के द्वारा लोहे का बंका लेकर घर के एवं मोहल्ले के लोगों को डराये धमकाये जाने के कारण उससे मौके पर लोहे का बंका जप्त किया जाना एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने के बाद थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त से जप्तशुदा बंके की नाप किस चीज से की गयी थी उसका उल्लेख जप्ती पत्रक पर नहीं किया गया है और न ही उसमें नमूना सील अंकित की गयी है। पैरा क. 03 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि फिरोजा अली ने थाने में आकर मारपीट की रिपोर्ट की थी।

12 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से अभियुक्त से कथित आयुध जप्त किये जाने के उपरांत उसे गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया हो ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। जप्ती पत्रक में जप्ती के समय पर ओव्हर राईटिंग भी की गयी है। जप्तशुदा आयुध की नाप किये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी अनिल शर्मा (अ.सा.-3) के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियुक्त से अपने समक्ष जप्ती का समर्थन नहीं किया है। जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही मात्र 10 मिनट में पूरी कर ली गयी है। जप्तशुदा आयुध धारदार होने के संबंध में भी कोई कथन विवेचक साक्षी अनिल शर्मा ने नहीं किये हैं। उपर्युक्त परिस्थितियां अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती को संदेहास्पद कर देती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

13 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.08.2015 को 12:30 बजे या उसके लगभग इन्द्रा कॉलोनी रेल्वे पटरी के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का बका जिसकी लंबाई 1 फुट 6 इंच, चौड़ाई 3 इंच 10 सेमी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त शेख रसीद को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का धारदार बका अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

15 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)